

५५

२५-३-२५ मंत्रालयी पेश हुई वकील प्राधी उपरिधत नही
प्रकरण मे वकील प्राधी व प्राधीया को आयोक्षय मे
बार बार अवाजे लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद
उपरिधत नही होने ले द्या-पत्र अदम हजरी अदम
पैर वी अखारिज किया जाता है। मंत्रालयी पौसल
शुमार होकर नाम्बर से काम हो

५५